

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये  
₹.10

भारत

TEN  
RUPEES  
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

56AC 791112

महेश्वर मीरा देवी (रु. 10 रुपये ग्राम छालांड)  
कालीन पत्रावार (१३०४) के ऐतिहासिक दस्तावेज़।  
ज्ञानविज्ञान एवं शास्त्रावाच



ग्राम निवायक निवायक बोर्ड  
ग्राम सोसाइटीज एवं निवायक  
बाधायणी  
12-5-2015

(21)

## संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : सेन्ट जोसेफ स्कूल सोसाइटी
2. संस्था का पता : ग्राम व पोस्ट— चहनियाँ, तहसील— सकलडीहा, जिला— चन्दौली, उ० प्र०।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग : संस्था की सदस्यता निम्नवत् होगी—
- अ— सामान्य सदस्य : वे व्यक्ति जो संस्था को 151/- रु० वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करेंगे, वे संस्था का सामान्य सदस्य होंगे।
- ब— आजीवन सदस्य : वे व्यक्ति जो संस्था को 3000/- रु० नगद धनराशि या उससे अधिक मूल्य की बल अचल सम्पत्ति एक बार में देंगे, वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे।
- 5— संस्था की समझि  
अमरती  
Anil Kumar Jha  
Ratan Kumar Jha  
कृष्ण शुभ्रा. कृष्ण  
शिक्षा इ-ग
- निम्न तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी :—
1. किसी सदस्य के मृत्यु होने पर।
  2. किसी सदस्य के पागल या दीवालिया होने पर।
  3. किसी सदस्य के न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
  4. किसी सदस्य के स्वयं लिखित त्याग-पत्र देने पर।
  5. किसी सदस्य के संस्था के विरुद्ध हानिकारक कार्य करने पर।
  6. किसी सदस्य के निर्धारित शुल्क जमा न करने पर।
  7. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
- 6— संस्था के अंग : संस्था के दो अंग होंगे—
- अ— साधारण सभा।
- ब— प्रबन्धकारिणी समिति।
- 7— साधारण सभा  
(अ) गठन :

### सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक  
फर्म सोसाइटी ज एच. चिक्स  
साधारण सभा मण्डल बाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता...  
निलान कर्ता...

(ब) बैठकें

साधारण सभा के सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधि

साधारण सभा के सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

(द) गणपूर्ति

संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों के कम से कम  $\frac{2}{3}$  उपस्थिति में साधारण सभा के सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी।

(घ) वार्षिक अधिवेशन

संस्था का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार किसी समय हर वर्ष हुआ करेगी।

(र) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :

*Anil Kumar Jha**Datan Kumar Jha**जीवन मुनाफ़ लिंग*8— प्रबन्धकारिणी समिति —  
(अ) गठन

1. संस्था के गत वर्ष के बजट एवं कार्य-कलापों आदि पर विचार करना तथा आगामी वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान करना।
2. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव करना।
3. प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव पर विचार कर उसे स्वीकृत करना।
4. संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन हेतु स्वीकृति प्रदान करना।

साधारण सभा के  $\frac{2}{3}$  बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक/सचिव, उपप्रबन्धक/उपसचिव, कोषाध्यक्ष व 02 सदस्य होंगे।

(ब) बैठकें

प्रबन्धकारिणी समिति के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार तथा विशेष आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 1 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

(स) सूचना अवधि

**सत्य प्रतिलिपि**

इसे सहायक निवासक  
फर्म सोशलस्टोर एवं चिक्स  
बाराष्टी मण्डल बाराष्टी

प्रतिलिपि कर्ता...  
गिरिजन कर्ता...

(द) गणपूर्ति

प्रबंधकारिणी समिति के सभी सदस्यों, पदाधिकारियों के कम से कम दो तिहाई उपस्थिति में सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी।

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति :

प्रबंधकारिणी समिति में किसी भी पदाधिकारी या सदस्य का स्थान रिक्त होने पर साधारण सभा के बहुमत से शेष अवधि के लिए साधारण सभा के सदस्यों में से किसी भी योग्य व्यक्ति का चुनाव कर लिया जायेगा।

(र) प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :

अमरली झा  
Abhil Kumar Jha  
Ratan Kumar Jha  
भृगु लक्ष्मी झा  
१५/११ दिसंबर २०११

1. संस्था के बजट पर विचार करना तथा उसे स्वीकृत करना।
  2. संस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु उपसमितियों का गठन करना।
  3. संस्था के लिए ऋण, अनुदान, दान, चर्चे आदि को प्राप्त करना।
  4. संस्था के लिए चल-अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा देख-रेख करना।
  5. वैतनिक कर्मचारियों के लिए नियुक्ति, विमुक्ति आदि के लिए निर्णय लेना।
  6. अन्य सभी कार्यों का संचालन करना जो संस्था के हित में आवश्यक हो।
- प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होगा।

9. प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य -

अध्यक्ष

1. बैठक करने के लिए से दिनांक का अनुमोदन करना तथा उसमें परिवर्तन करना।
  2. संस्था के साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी समिति के बैठक की अध्यक्षता करना।
  3. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होंगे।
- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके निर्देशों का पालन करना।

सत्य प्रतिलिपि

उपाध्यक्ष

कृष्ण सहायक निबन्धक  
स्टर्न सोसाइटी एवं चिक्स  
चारापासी बण्डल वाराणसी

निर्देशिका कक्षा...  
निर्देशिका कक्षा...  
निर्देशिका कक्षा...  
निर्देशिका कक्षा...

प्रबन्धक / सचिव :

*आरती झा  
Anil Kumar Jha  
Ratan Kumar Jha  
श्री पा। झा  
कृष्ण उमर कृष्ण*



उपप्रबन्धक / उपसचिव :

कोषाध्यक्ष :

1. संस्था के लिए अनुदान, दान चन्द्रे एवं सदस्यता शुल्क आदि को प्राप्त करना तथा उसके लिए यथाविधि रसीदें देना ।
  2. आवश्यकतानुसार सामान्य एवं विशेष आवश्यक बैठक बुलाना, कोरम के अभाव में बैठकें स्थगित करना ।
  3. संस्था से सम्बन्धित कागजात पर एवं प्रपत्रों आदि पर हस्ताक्षर कर उसे जारी करना ।
  4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, विमुक्ति करना व वेतन, वेतन वृद्धि तथा अन्य देय धनराशि आदि का भुगतान अध्यक्ष की राय से स्वीकृत करना ।
  5. संस्था के आय-व्यय का हिसाब-किताब तैयार करना ।
  6. वैतनिक कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना ।
  7. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना ।
  8. अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करना ।
  9. संस्था के हित में आवश्यक सुझाव व निर्देश देना ।
  10. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होंगे ।
- प्रबन्धक / सचिव के न रहने पर उनके निर्देशों का पालन करना ।
1. संस्था के निधियों एवं सम्पत्तियों के लेखे को तैयार करना ।
  2. संस्था के आय-व्यय का हिसाब-किताब तैयार करना ।
  3. आय-व्यय का वार्षिक विवरण तैयार कर उसे प्रबन्धक / सचिव को देना ।

10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से संस्था के नियम एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन किया जायेगा ।

## सत्य प्रतिलिपि

*इस सहायक निबन्धक  
कार्य सोसाइटीज एवं चिव्स  
वाराष्ट्री मण्डल वाराष्ट्री*

*प्रतिलिपि कर्ता.....  
नियम कर्ता.....*

## 11. संस्था का कोष :

किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर संस्था की समस्त धनराशि को जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक/सचिव व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

## 12. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :-

संस्था के वित्तीय वर्ष के अंत में प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नियुक्त आय-व्यय निरीक्षक द्वारा संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण 'आडिट' करायी जायेगी।

## 13. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व :-

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध लगाये गये अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक/सचिव पर होगा।

संस्था के अभिलेख निम्नलिखित होगा :-

- 1— कार्यवाही रजिस्टर
- 2— सदस्यता रजिस्टर
- 3— स्टाक रजिस्टर
- 4— कैश बुक आदि होंगे।

संस्था के विघटन तथा उसके विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एकट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

प्रतिबन्ध

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय के प्रबंधसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेघावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न



## 15. संस्था का विघटन :

३०/८८८१-३८८  
Anil Kumar Jha  
Ratan Kumar Jha  
कृष्णा द्वारा दिया है  
श्री ८१ ३८८

सत्य प्रतिलिपि

कृष्णा द्वारा दिया है विवर  
कर्म सोसाइटी एवं विद्युत  
वाराणसी बघ्ल चारापासी

प्रतिलिपि कर्ता... M  
मिलान कर्ता...

कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली / कॉसिल फार दी इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इकामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्ति होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्र कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवाशर्ते बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा।
9. उक्त प्रतिबन्ध क्र0सं0 1 से 8 तक बिना शासन के अनुमति से परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

### सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायता विद्यालय  
कर्मचारी एवं विद्या  
शालासी विचारक बायापसी  
10.6.12  
10.6.12  
10.6.12  
10.6.12  
10.6.12

### सत्य-प्रतिलिपि

हस्ताक्षर  
आरती झा  
Anil Kumar Jha  
Rasam Kumar Jha  
अंली झा रासम झा  
शिष्या झा

सेन्ट जोसेफ स्कूल सोसाइटी  
ग्राम व पोस्ट— चहनियाँ, तहसील सकलडीहा, जिला—चन्दौली  
प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष:- 2020-2021

क्र.सं.	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती शिप्रा झा पत्नी श्री सतन कुमार झा	दुलहीपुर, मुगलसराय, जिला—चन्दौली	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	सुनील कुमार सिंह पुत्र श्री राममूरत सिंह	ग्रा० व पो०—प्रभुपुर, जिला—चन्दौली	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3.	श्रीमती आरती झा पत्नी श्री अनिल कुमार झा	ग्रा० व पो०—चहनियाँ, तह० सकलडीहा जिला—चन्दौली	प्रबन्धक / सचिव	समाजसेवा
4.	नन्द कुमार झा पुत्र श्री परमेश्वर झा	दुलहीपुर, मुगलसराय, जिला—चन्दौली	उपप्रबन्धक / उपसचिव	समाजसेवा
5.	अनिल कुमार झा पुत्र श्री परमेश्वर झा	ग्रा० व पो०—चहनियाँ, तह० सकलडीहा जिला—चन्दौली	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
6.	रतन कुमार झा पुत्र श्री परमेश्वर झा	ए. 16/51 बी—1, डी—1 विनायका छित्तूपुर, महमूरगंज, जिला—वाराणसी	सदस्य	समाजसेवा
7.	सतन कुमार झा पुत्र श्री परमेश्वर झा	दुलहीपुर मुगलसराय, जिला—चन्दौली	सदस्य	समाजसेवा

दिनांक:————

हस्ताक्षर:————



### सत्य प्रतिलिपि

कृति सहायक निबन्धक  
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स  
वाराणसी मण्डल वाराणसी

21/3/2020

मूल प्रति सत्यापित किया  
Verified with Original  
भारतीय रेकर्ड ऑफ  
विशेषज्ञ वाणिज शाखा (0055) वाराणसी  
S.C.B. (09252) Varanasi  
ग्राहकालिक कक्षा (A)  
मैत्रान कक्षा (B)

Ram Kumar Jha

उमा देवी

रमेश झा

Ram Kumar Jha

संख्या -

1669

दिनांक २०-८ 2019



## सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीकरण संख्या - 721 / 2019-20

फाइल संख्या V-38807

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि सेण्ट जोसेफ स्कूल सोसाइटी, ग्राम व पोस्ट चहनियाँ, तहसील सकलडीहा, जिला चन्दौली।

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या - 645 / 2009-10

दिनांक 11-08-2009 को दिनांक 10-08-2019 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1000/- रुपये की नवीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक - 17-08-2019

संदर्भ में सहायता किया  
Verified with Original

सोसाइटी के रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश

शासकीय सहायता कार्यालय  
विधायिका वाराणसी (0522) 22 वाराणसी  
S.B.I., S.C.B. (09252) Varanasi

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

ST. JOSEPH SCHOOL SOCIETY



11/08/2009

Permanent Account Number

AAEAS5596E

09032010